आदेश ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या : 719/2023 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

केनरा बैंक, शाखा कार्यालय– एआरएम ब्रान्च, सेठी कॉलोनी, राजपार्क, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. मैसर्स नेहा टेक इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती नेहा लुहारूवाला,
   पता:– जी–29, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, बगरू विस्तार फेज द्वितीय, अजमेर रोड़, जयपुर
   एवं कार्यालय नं. 207, क्राउन स्क्वायर, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं 206, मंगलम मेट्रोपोलिस, अजमेर रोड़, जयपुर
   एवं 237, नेमी सागर कॉलोनी, गेट नं. 3, वैशाली नगर, जयपुर।
2. श्रीमती नेहा लुहारूवाला पत्नी श्री आशीष लुहारूवाला,
3. श्री आशीष लुहारूवाला पुत्र श्री बिजय कुमार लुहारूवाला,
4. श्री अतुल लुहारूवाला पुत्र श्री बिजय कुमार लुहारूवाला,
   पता:– 237, नेमी सागर कॉलोनी, गेट नं. 3, वैशाली नगर, जयपुर
   एवं फ्लेट नं. 701, सर्निटी होम्स, हनुमान नगर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002.

उपस्थित :–

श्री रजत बंसल, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश

दिनांक: 13.07.2023

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक के अनुसार अप्रार्थी ऋणी को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में सिंडिकेट बैंक द्वारा अप्रार्थी मैसर्स नेहा टेक इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती नेहा लुहारूवाला के स्वामित्व की औद्योगिक संपत्ति जी–29, रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार फेज द्वितीय, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 1900 वर्गमीटर को बंधक रख कर एवं उक्त फर्म की Current assets including Stock of Raw Material, stock in progress, stores and spares, finished goods, semi finished Goods and receivables, other current assets (Present and future), Plant & Machinery, Furniture and Fixtures को हाईपोथिकेट कर दिनांक 09.06.2014 को राशि 02,87,17,000/– रूपये, राशि 68,98,000/– रूपये, राशि 01,45,00,000/– रूपये, दिनांक 29.09.2017 को राशि 35,82,000/– रूपये, कुल राशि 05,36,97,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांकित 04.03.2020 से दिनांक 01.04.2020 को सिंडीकेंट बैंक का विलय प्रार्थी बैंक में हो गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को ने दिनांक 29.12.2022 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक ने The

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act,2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक/हाइपोथिकेटेड सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को कुल राशि 05,36,97,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाइपोथिकेट के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि राशि 05,38,31,974.56/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 29.12.2022 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है अप्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों का निस्तारण प्रार्थी वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा कर दिया गया है, तत्पश्चात् भी अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेट सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेट सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा–14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

4. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी मैसर्स नेहा टेक इंडस्ट्रीज जरिये प्रोपराईटर श्रीमती नेहा लुहारूवाला के स्वामित्त्व की बंधक औद्योगिक संपत्ति जी–29, रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार फेज द्वितीय, जयपुर, कुल क्षेत्रफल 1900 वर्गमीटर को बंधक रख कर एवं उक्त फर्म की हाइपोथिकेटेड संपत्ति Current assets including Stock of Raw Material, stock in progress, stores and spares, finished goods, semi finished Goods and receivables, other current assets (Present and future), Plant & Machinery, Furniture and Fixture का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें। आदेश की प्रति हस्व कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

6. आदेश आज दिनांक 13.07.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner